

मुन्तकिली प्रकरण सं० 45/2015 अनवानी कुलदीपसिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड न० 1 गुरुसर तहसील श्रीकरनपुर बनाम 1-राज० सरकार जरिये एसडीएम श्रीकरनपुर 2-गुरदिता सिंह पुत्र निरजन सिंह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील कोटकपूरा जिला फरीदकोट 3-शिवराज सिंह 4-जीत सिंह 5-श्रीमति सन्दीप कौर



Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री भजन लाल टाक उपस्थित है। अप्रार्थी गुरदिता सिंह के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर में लंबित प्रकरण सं० 13/2014 अनवानी सरकार बनाम गुरदिता सिंह वगैरा धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड मजि०, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरनपुर में लंबित प्रकरण सं० 13/2014 अनवानी सरकार बनाम गुरदिता सिंह वगैरा धारा 145 सीआरपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड मजि०, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजि०, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

539  
18-5-16